#OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹60,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews

https://linktr.ee/mediacellbahraich

## दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

अदालत से

बहराइच, संवाददाता। 24 फरवरी 2020 को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या किए जाने पर अदालत ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि (एएसजे/पाक्सो) ने यह सजा सुनाई।

पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि वह दरगाह शरीफ ठाकुर बाग थानी टांडी के पास लेटा था। रात लगभग दो बजे आंख खुली तो देखा कि उसकी पुत्री बिस्तर पर नहीं थी, वे लोग उसे ढूंढने लगे। सुबह लगभग आठ बजे लोगों ने बताया कि एक बच्ची शव बोरी में टाड़ा बाग चाउड़ी के पास नाले में पड़ा है। वहां अपनी पत्नी व अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर बोरी खोलकर देखा तो शव उसकी पुत्री (पीड़िता) की थी जिसके शरीर पर कई जगह चाकू से चोट के निशान थे। विवेचना निरीक्षक विनय कुमार सरोज ने की। साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के बाद अभियुक्त मोहम्मद रईश पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी मकई दरवाजा सिंहापरासी, थाना दरगाह शरीफ के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि (एएसजे/पाक्सो) ने दोषी अभियुक्त मोहम्मद रईश पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी मकई दरवाजा सिंहापरासी, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

## मासूम की हत्या और दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

60 हजार रुपये का अदालत ने दोषी पर लगाया जुर्माना

23 फरवरी 2020 की दरगाह मेले में घटित हुई थी घटना

उत्तरप्रदेश संवाददाता • दरगाह। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने हत्या और दुष्कर्म करने में गुनाहगार करते हुए आरोपित ठहराए गए दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अभिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह तथा पाक्सो कोर्ट के वादकारी की पैरवी की। उन्होंने न्यायालय को बताया जिले के सीमावर्ती इलाके का एक व्यक्ति अपनी पीड़िता उस दरगाह मेले में विस्तार करने आया था। उसने वाम दरगाह शरीफ में खाटी देवता बताया कि वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ दरगाह मेले में 21 दिन पहले से आकर रह रहा है। उसकी नाबालिग खूबसूरत थी, वह रोज हाजरी लगाता था।

23 फरवरी 2020 की रात अपनी पत्नी व बच्चों के साथ ठाकुरबाग थानी टांडी के पास लेटा था। रात दो बजे के करीब उसे आंख खुली तो उसकी नाबालिग पुत्री घटना के संबंध में उसने पत्नी को नहीं बताया था। उसने कहा कि वह अपनी पुत्री की तलाश करने लगा। उसे पता चला कि एक व्यक्ति उसकी पुत्री को लेकर जा रहा है। उसने उस व्यक्ति को रोका तो उसने चाकू से उसके गले पर वार कर दिया। चाकू लगने से उसकी पुत्री की मौत हो गई। उसने पत्नी को बताया कि उसकी पुत्री को किसी व्यक्ति ने मार दिया है। उसकी पत्नी ने पुत्री को देखा तो उसकी पुत्री की मौत हो चुकी थी। अदालत ने उसकी पत्नी की ली जाकर दुष्कर्म के बाद हत्या करके नाले के पास शव फेंक दिया।

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के राजाधारा के लिए उपयोग तेज किया। काफी तलाश के बाद दरगाह इलाके के मकई निवासी सिंहापरासी मोहम्मद रईश का नाम उजागर में आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की। अदालत ने पत्नी पक्षों के गवाह दर्ज करने के बाद गुनाह की अभियोजन व वादकार पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित मोहम्मद रईश को दोषी करार दिये हुए अपराध को संगीन मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

## पांच वर्ष की बच्ची के साथ रेप व हत्या के दोषी को उम्रकैद

संवाददाता, बहराइच

» विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनाई सजा, 60 हजार अर्थदंड

अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने दरगाह थाना क्षेत्र के मकई दरवाजा सिंहापरासी गांव निवासी मोहम्मद रईस को पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के आरोप में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर साठ हजार का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि जनपद अयोध्या के थाना सोनवा क्षेत्र के एक गांव निवासी पुरुक ने दरगाह थाने में दी गई तहरीर में कहा था था कि वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ दरगाह शरीफ में आकर रह रहा था। तहरीर में उसने बताया कि 22 फरवरी 2020 की रात वह दरगाह शरीफ के ठाकुर बाग स्थित थानी की टांडी के पास लेटा था। रात दो बजे जब आंख खुली तो उसकी पांच वर्षीय बेटी बिस्तर से गायब मिली। आसपास खोजने पर लोगों ने टाड़ाबाग में बोरी में एक लाश मिलने की जानकारी दी। जब बोरी को खोलकर देखा गया, तो बेटी की लाश मिली। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहम्मद रईस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने सुनवाई दौरान पहला को गंभीर प्रकृति का बताया। अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 60 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त तो एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

BAHRAICH POLICE

24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich

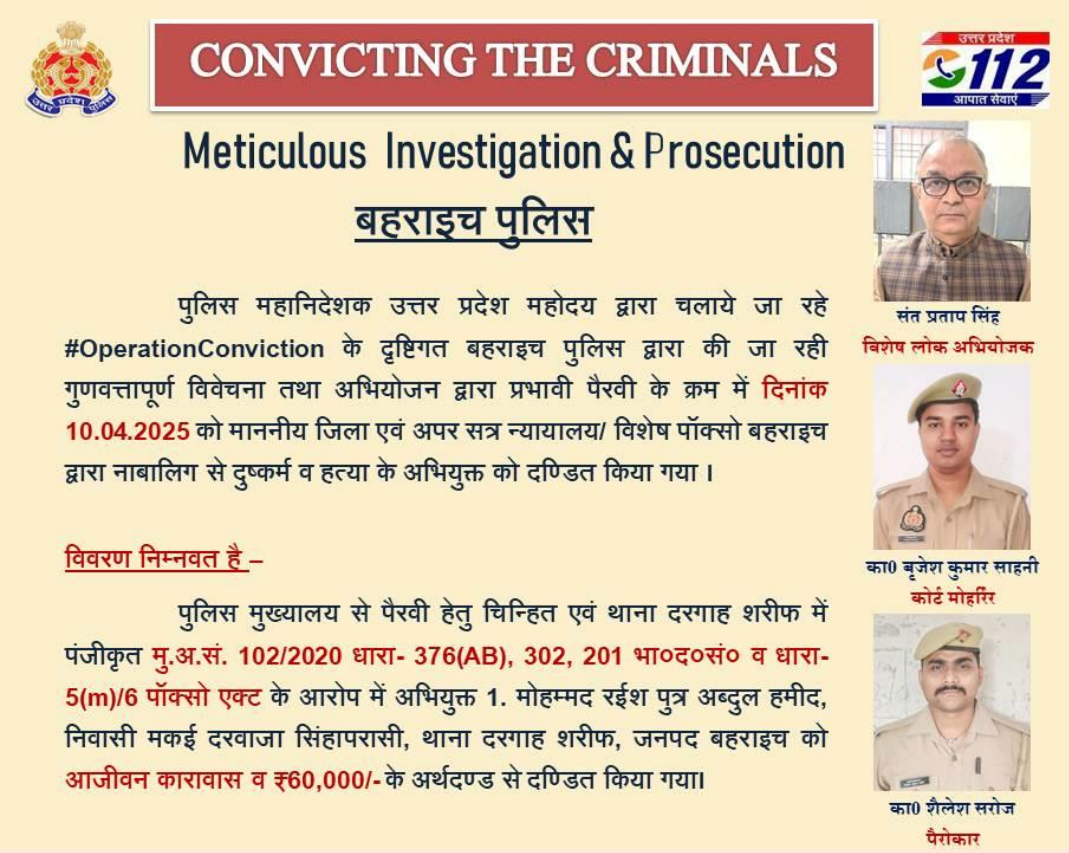

CONVICTING THE CRIMINALS

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 10.04.2025 को माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/ विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है –

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना दरगाह शरीफ में पंजीकृत मु.अ.सं. 102/2020 धारा- 376(AB), 302, 201 भा०द०सं० व धारा- 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में अभियुक्त 1. मोहम्मद रईश पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी मकई दरवाजा सिंहापरासी, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच को आजीवन कारावास व ₹60,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संत प्रताप सिंह
विशेष लोक अभियोजक

का0 बृजेश कुमार साहनी
कोर्ट मोहर्रिर

का0 शैलेश सरोज
पैरोकार